भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1683

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2025

राजसहायतायुक्त शैक्षिक ऋण

1683. श्री अरुण भारती:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान राजसहायतायुक्त शैक्षिक ऋण योजना से लाभान्वित हुए छात्रों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत प्रदान की गई कुल राजसहायता राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अल्पसंख्यक छात्रों को राजसहायतायुक्त ऋणों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों के लिए राजसहायता राशि बढ़ाने या पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विदेश में अध्ययन के लिए अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों द्वारा प्राप्त शैक्षिक ऋण पर स्थगन की अवधि के दौरान देय ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए पढ़ो परदेश योजना लागू की है। हाल के वर्षों में, सरकार ने मानदंडों को आसान बना दिया है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से छात्रों को विभिन्न शैक्षिक ऋण आसानी से उपलब्ध कराए हैं। यह देखा गया कि पढ़ो परदेश योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली ब्याज सब्सिडी के लाभ सीमित थे और यह अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही पात्र अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों पर भी लागू अन्य समान योजनाओं के साथ एक स्पष्ट ओवरलैप भी था। थे। इस तरह के ओवरलैप, सीमित लाभ और कम ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण प्राप्त करने में आसानी को देखते हुए, इस योजना को 2022-23 से बंद कर दिया गया था।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उपक्रम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC), विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण भी प्रदान करता है। NMDFC योजनाओं के अंतर्गत पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता मानदंड ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है। क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत, 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की उच्च वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति उच्च ब्याज दर पर अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एनएमडीएफसी शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत, भारत में पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए 20.00 लाख रुपये तक और विदेश में पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए 30.00 लाख रुपये तक का ऋण क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत 3% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध है, जबकि क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों से 8% प्रति वर्ष और महिला लाभार्थियों से 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है। एनएमडीएफसी की योजनाएं (शिक्षा ऋण योजना सहित) संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। शिक्षा ऋण संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वास्तविक मांग के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान इन ऋण योजनाओं से लाभान्वित हुए छात्रों का राज्यवार और वर्षवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ङ): जहां तक एनएमडीएफसी द्वारा दिए गए शिक्षा ऋण का संबंध है, ऋण 3-8% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर दिए जा रहे हैं, जो मौजूदा बाजार दरों की तुलना में पहले से ही रियायती दरों पर उपलब्ध है, और एनएमडीएफसी द्वारा अब तक पुनर्भुगतान अवधि के संबंध में कोई कठिनाई नहीं बताई गई है।

*****

"राजसहायतायुक्त शैक्षिक ऋण" विषय के संबंध में दिनांक 30.07.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1683 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पढ़ो परदेश योजना के तहत राज्यवार ब्याज सब्सिडी और जारी धनराशि											
क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (30.09.2024 तक)	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	91	60.06	81	50.97	46	45.38	28	29.56	10	5.21
2	असम	6	3.20	1	0.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	बिहार	11	3.78	8	2.40	6	3.42	4	2.83	0	0.00
4	चंडीगढ़	3	1.38	2	0.25	1	1.67	1	1.20	0	0.00
5	छत्तीसगढ़	3	1.91	1	1.21	1	0.84	1	0.27	0	0.00
6	दिल्ली	19	8.23	13	5.64	8	5.73	4	3.45	2	1.40
7	गोवा	13	9.76	4	3.41	3	1.38	1	0.54	0	0.00
8	गुजरात	103	67.37	82	45.08	55	52.71	37	32.87	11	4.95
9	हरियाणा	14	5.04	12	5.63	11	6.15	5	4.66	2	0.37
10	हिमाचल प्रदेश	1	1.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	132	60.27	202	65.07	149	75.06	97	43.78	29	5.79
12	झारखंड	8	2.46	6	2.29	2	1.13	1	0.19	0	0.00
13	कर्नाटक	275	195.12	229	130.33	129	122.34	57	44.00	11	5.29
14	केरल	2236	1360.29	3359	1710.84	2364	2243.12	1643	1325.27	380	162.28
15	मध्य प्रदेश	82	50.39	51	30.17	33	32.87	16	15.16	4	3.22
16	महाराष्ट्र	300	225.79	265	194.36	148	140.90	74	60.51	11	5.08
17	ओडिशा	4	4.42	5	3.20	2	3.12	2	1.25	0	0.00
18	पुडुचेरी	12	9.60	9	6.39	5	4.58	3	1.00	0	0.00
19	पंजाब	59	22.21	74	21.11	46	26.00	29	18.68	10	4.09
20	राजस्थान	27	15.06	24	12.90	18	17.20	13	6.42	1	0.37
21	तमिलनाडु	133	79.81	108	58.70	58	46.68	38	32.27	6	3.14
22	तेलंगाना	63	40.11	53	27.97	32	22.10	13	12.64	5	3.07
23	उत्तर प्रदेश	30	15.00	15	8.13	11	8.14	8	5.94	0	0.00

24	उत्तराखंड	12	4.32	7	4.59	7	5.90	4	2.12	0	0.00
25	पश्चिम बंगाल	19	8.38	11	7.95	5	4.80	2	4.03	1	0.53
कुल		**3656**	**2255**	**4622**	**2399**	**3140**	**2871**	**2081**	**1649**	**483**	**205**

पिछले 5 वर्षों के दौरान एनएमडीएफसी शिक्षा ऋण के तहत संवितरित रियायती ऋण और सहायता प्राप्त छात्रों की संख्या का वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
		राशि	**छात्रों की संख्या**	**राशि**	**छात्रों की संख्या**	**राशि**	**छात्रों की संख्या**	**राशि**	**छात्रों की संख्या**	**राशि**	**छात्रों की संख्या**
1	चंडीगढ़	10.03	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	गुजरात	1.34	68	0.74	37	0.23	13	0	0	0	0
3	हिमाचल प्रदेश	0.07	8	0.16	7	0.34	14	0.19	5	0.11	2
4	जम्मू और कश्मीर	5.66	115	9.33	158	4.74	85	1.52	53	2.61	103
5	केरल	9.29	637	8.07	467	12.93	686	4.32	246	4.00	243
6	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	2.08	163	0	0
7	राजस्थान	0	0	0	0	0.33	20	0.67	35	0	0
8	तमिलनाडु	0.09	7	0.09	7	0.15	14	0.03	5	0.1	10
9	त्रिपुरा	0.35	37	0.46	46	0.38	38	0	0	0	0
10	उत्तराखंड	0.11	3	0.01	1	0	0	0	0	0	0
11	पश्चिम बंगाल	79.11	1831	0	0	16.53	1194	3.66	166	15.99	646
कुल		**106.05**	**2707**	**18.86**	**723**	**35.63**	**2064**	**12.47**	**673**	**22.81**	**1004**